Issued by Industries Department, Govt. of U.P.

[6]

विशेष सचिव उद्योग विभाग द्वारा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय को प्रेषित पत्रांक संख्याः 130 /77-6-11- 4 (बजट) /09, दिनांक 14 फरवरी, 2011

विषयः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में मेगा इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा संचालित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया है। इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष - 2010 -11 के आय - व्ययक में रू0 119,00,00,000.00 (रूपए एक सौ उन्नीस करोड़ मात्र) की बजट व्यवस्था की गई है। इस धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 22,43,66,164.00 (रूपए बाइस करोड़ तैतालीस लाख छियासठ हजार एक सौ चौसठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) स्वीकृति धनराशि का लेखा जोखा उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा रखा जायेगा।

(2) यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जायेगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003 यथा संशोधित में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।

(3) यह धनराशि ऐसी पात्र नई मेगा इकाईयों, जिनके प्रत्यावेदन उ0 प्र0 वित्तीय निगम में प्रान्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदनों के यथाक्रम में वरीयतानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकतायें एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) पात्र इकाईयों को वितरित ऋृण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व यूपीएफसी पर होगा। यूपीएफसी द्वारा इकाईयों को स्वीकृति किये गये ऋृण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003 यथा संशोधित में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जायेगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जाएंगी।

(5) ऋृण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में कराया जायेगा।

(6) यदि यूपीएफसी द्वारा किसी किश्त के भुगतान में डिफाल्ट किया जाता है तो यूपीएफसी द्वारा शासन को 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से विलम्ब की अवधि में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा।

(7) स्वीकृति धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा किया जाएगा। यूपीएफसी को उपलब्ध कराए गए ऋृण के सापेक्ष यूपीएफसी द्वारा ऋृण वितरण का अनुश्रवण भी आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के सम्बन्ध में संतुष्ट होने के अपरांत ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।

2. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या - बी - 1-951/दस- 2010-231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 द्वारा जारी दिशा - निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. उक्त धनराशि को आहरित करके उ0 प्र0 वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जायेगा जिसका उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक, उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-11 के आय -व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्षक 6885- उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज- 01 - औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज- 06 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना -30- निवेश / ऋृण के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-बी-4-18-दस-2011 में दिनांक 11-02-2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

....